संख्या 4495 कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनु0/2015–16
देहरादून :: दिनांक :: 14 दिसम्बर, 2015

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश कर अधिनियम, 2008 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2008) की धारा 4क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1036/2015/22(110)/XXVII(8)/2008 दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 के क्रम में, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, अधोहस्ताक्षरी सहर्ष ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/माल वाहक एवं किसी अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता) से, राज्य के बाहर से राज्य के भीतर, कारबार के अन्यथा प्रयोजनार्थ, जो स्वयं अथवा किसी अन्य के बदले ऑनलाइन शॉपिंग अथवा ई–कॉमर्स द्वारा क्रय या आर्डर कर आयातित माल प्राप्त करने का इरादा रखता हो, के सम्बन्ध में विहित प्रवेश कर के संग्रहण की प्रक्रिया निम्नवत विज्ञापित करते हैं;

प्रक्रिया

1. यह प्राविधान उत्तराखण्ड राज्य के स्थानीय क्षेत्र के भीतर कारबार के अन्यथा प्रयोजनार्थ ऑनलाइन शॉपिंग अथवा ई–कॉमर्स द्वारा क्रय या आर्डर कर आयात कर लाये गये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–I में वर्णित माल के अन्यथा सभी प्रकार के माल के उद्देश्यार्थ है।
2. इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/माल वाहक या किसी अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता) को उत्तराखण्ड माल के स्थानीय प्रवेश कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करना होगा। इस सम्बन्ध में उनको टिन आवंटित किया जायेगा।
3. पंजीयन प्राप्त करने के लिए ऐसे कर निर्धारक प्राधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में उसके कारबार का मुख्य स्थान हो, प्रार्थना–पत्र देगा। यदि राज्य में किसी ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/माल वाहक या किसी अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता) का कारबार का मुख्य स्थान नहीं है तो ऐसे ब्यौहारी द्वारा कमिश्नर को लिखित रूप में राज्य के भीतर किसी एक कारबार स्थल को अपना प्रदेशीय मुख्यालय घोषित करने विषयक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. इस प्राविधान के अन्तर्गत किसी ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/माल वाहक एवं किसी अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता) से राज्य के बाहर से राज्य के भीतर, कारबार के अन्यथा प्रयोजनार्थ जो स्वयं अथवा किसी अन्य के बदले ऐसा माल प्राप्त करने का इरादा रखता हो, के द्वारा ई–फार्म 16 में घोषणा करनी होगी।

5. अपेक्षित आयात करने के उद्देश्य से ई–फार्म 16 वैट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्राप्त करने होंगे तथा ई–फार्म 16 प्राप्त करने हेतु किसी ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/माल वाहक या किसी अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता) को कर निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार अग्रिम जमानत जमा करनी होगी। इस प्रकार जमा की गयी अग्रिम जमानत को प्रान्त बाहर से ऑनलाइन शॉपिंग या ई–कॉमर्स द्वारा क्रय या ऑर्डर कर आयातित माल पर देय प्रवेश कर के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

6. प्रत्येक बार ई–फार्म 16 प्राप्त करने की प्रक्रिया में उस समय तक प्राप्त ई–फार्म 16 से आयातित माल की वास्तविक राशि पर देय कर का समायोजन जमा जमानत से किया जायेगा। यदि जमा जमानत देय प्रवेश कर से अधिक है तो उसके उपरान्त ई–फार्म 16 प्राप्त करने में शेष जमानत का समायोजन आगे दी जाने वाली जमानत में किया जायेगा। यदि व्यापारी द्वारा जमा जमानत के सापेक्ष अधिक माल मंगाया गया है तो व्यापारी को आगे फार्म प्राप्त करने से पूर्व शेष देय प्रवेश कर की धनराशि जमा करनी होगी।

7. यदि जमा जमानत की धनराशि देय कर से समायोजन के उपरांत शेष रह जाती है तो इस प्रकार अधिक जमा जमानत को अगले आयात घोषणा पत्र प्राप्त करने हेतु देय जमानत की राशि में समायोजित किया जायेगा।

8. ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/माल वाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता), जो प्रवेश कर जमा करने का दायी है, को यह अधिकार होगा कि वह यह प्रवेश कर ग्राहकों से वसूल कर सके। यह प्रवेश कर बिक्री बीजक (Sale invoice) के माध्यम से भी वसूल किया जा सकता है। बिक्री बीजक में पृथक से प्रवेश कर वसूल किये जाने की दशा में प्रवेश कर वसूल करने वाली कम्पनी/ब्यौहारी से ऐसे प्रवेश कर की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त करने का पूर्ण दायित्व उक्त प्रकार प्रवेश कर जमा कराने वाले ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/माल वाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता) का होगा। बिक्री बीजक में पृथक से वसूला गया प्रवेश कर प्राप्त न होने के आधार पर उनके द्वारा प्रवेश कर के दायित्व से नहीं बचा जा सकेगा। यदि प्रवेश कर बिक्री बीजक में अलग से वसूल किया गया है तो माल का मूल्य वह माना जायेगा जो बिक्री बीजक के कुल मूल्य से वसूले गये कर को कम किये जाने पर आता है। यदि बिक्री बीजक में प्रवेश कर पृथक से वसूल नहीं किया गया है तो बिक्री बीजक के कुल मूल्य पर प्रवेश कर की गणना की जायेगी।

9. यदि माल रेलवे/पोस्ट/एयर पार्सल के माध्यम से लाया जाता है तो माल छुड़ाने से पूर्व उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ई–फार्म 16 प्राप्त कर तद्नुसार माल की घोषणा करनी होगी।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर
उत्तरप्रदेश।